



क्रमांक: एफ4 (115)आकाशि/नि.सं./2012/ 1375

दिनांक:— 20-01-2023

आदेश

विभाग द्वारा पूर्व में जारी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण—पत्र अभिवृद्धि आदेश क्रमांक: एफ4 (115)आकाशि/नि.सं./2012/472 दिनांक 14.09.2020 में जारी सत्र 2019–20 को एवं आदेश क्रमांक: एफ4 (115)आकाशि/नि.सं./2012/1276 दिनांक 15.11.2022 में जारी सत्र 2020–21 तुरन्त प्रमाण से प्रत्याहरित कर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी तत्कालीन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र 2019–20 से स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित विषय/ संकाय में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर विचाराधीन एस.बी. सिविल याचिका संख्या 15486/2021 एवं उक्त याचिका में परित अंतरिम आदेश दिनांक 31.01.2022 के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर D.B.SAW के निर्णयाधीन स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय/विषय
श्री परतुराम मेमोरियल शिक्षण संस्थान, रायपुरा, पं. स. पिपराली, सीकर।	गुरुकुल कॉलेज, रायपुरा, रानोली, जिला सीकर।	पर्णिङ्गत दीनदयाल उपाध्याय शेखवाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर – कला संकाय— राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, इतिहास।

- संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ प्रवेश—प्रक्रिया समाप्त होने पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को समय—समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थाएँ गुणवत्ता संवर्धन हेतु NAAC से प्रत्यायन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अहंताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशेषणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ—साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तथ संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2022–23 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल WWW.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोड प्रमाण—पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
- माननीय न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या 15486/2021 एवं माननीय उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 31.01.2022 के विरुद्ध अपील के सम्बन्ध में विभाग द्वारा दायर D.B.SAW के निर्णयाधीन स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण—पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

41
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, सीकर।
- कुल सचिव, पर्णिङ्गत दीनदयाल उपाध्याय शेखवाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
- सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त—निदेशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर